Uttrakhand Khadi & Village Industries Board

Thano Road, Bhopalpani, Dehradun-248008

Email: hq.ukvib@gmail.com **Website:**www.ukvib.org

खादी एवं ग्रामोद्योग का परिचय

- **खादी का अर्थ** है कपास, रेशम या ऊन के हाथ कते सूत अथवा इनमे से दो या सभी प्रकार के सूतो के मिश्रण से भारत मे हथकरघे पर बुना गया कोई भी वस्त्र।
- **ग्रामोद्योग का अर्थ** है, ऐसा कोई भी उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्रों मे स्थित हो तथा जो विद्युत के उपयोग या बिना उपयोग के कोई माल तैयार करता हो या कोई सेवा प्रदान करता हो तथा जिसमे स्थाई पूँजी निवेश (संयत्र तथा मशीनरी एवं भूमि भवन में) प्रति कारीगर या कर्मी 50 हजार से अधिक न हो, इस हेतु प्ररिभाषित (ग्रामीण क्षेत्र मे) समस्त राजस्व ग्राम तथा 20 हजार तक की आवादी वाले कस्बे सम्मिलित है।

खादी एवं ग्रामोद्योग का गठन

उत्तर प्रदेश राज्य मे खादी ग्रामोद्योग सैक्टर के चहुमुखी विकास के लिए उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग अधिनियम सं0 10, 1960 के अन्तर्गत बोर्ड का गठन एक सलाहकार बोर्ड के रूप मे हुआ था तदोपरान्त उ0प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड संशोधित अधिनियम सं0 64, 1966 द्वारा उपरोक्त अधिनियम को संशोधित किया गया जिसके फलस्वरूप बोर्ड को खादी ग्रामोद्योग की योजनाओं को प्रदेश मे क्रियान्वित करने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस प्रकार खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एक स्वायतशासी संस्था के रूप मे पुर्नगठित हुआ तथा अप्रैल 1967 मे उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 के समस्त खादी ग्रामोद्योगी योजनाये बोर्ड को स्थानान्तरित कर दी गयी। इससे पूर्व ये योजनायें प्रथम एंव द्वितीय पंचवर्षी योजनाकाल मे उद्योग निदेशालय के अन्तर्गत संचालित की जा रही थी। पृथक राज्य गठन के पश्चात उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 3387/2002–133 उद्योग/2001 दिनांक 17 अगस्त 2002 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य मे भी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना निम्नवत की गयी है–:

मा0 बोर्ड के सदस्यो का विवरण सरकारी/गैरसरकारी

1.	मा0 मंत्री जी लघु उद्योग एवं खादी ग्रामोद्योग	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव उद्योग	सरकारी सदस्य
3.	प्रमुख सचिव/सचिव वित्त	सरकारी सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/सचिव ग्राम्य विकास	सरकारी सदस्य
5.	राज्य निदेश खादी और ग्रामोद्योग आयोग	सरकारी सदस्य
6.	मुख्य कार्यपालक अधिकारी खादी ग्रामोद्योग	सरकारी सदस्य
7.	गैर सरकारी सदस्य	07 (शासन द्वारा नामित)
8.	अपर निदेशक उद्योग उत्तराखण्ड	(विशेष आमंत्रित सदस्य)
9.	क्षेत्रीय श्री गॉधी आश्रम देहरादून	(विशेष आमंत्रित सदस्य)

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का उद्देश्य

- खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों मे छोट–मोटे तथा कम पूँजी निवेश के उद्योगो को स्थापित करवाकर अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को मजबूत बनाना है।

बोर्ड के कार्य

बोर्ड के अधिनियम की धारा 15 के अनुसार बोर्ड के निम्नलिखित कार्य है–:

- प्रदेश मे खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना, इसका संगठन विकास एवं विनियमन करना तथा अपने द्वारा बनायी गयी योजनाओं को क्रियान्वयवित करना।
- खादी के उत्पादन एवं अन्य ग्रामोद्योगो मे लगे हुए अथवा उसमे अभिरूचि रखने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना बनाना तथा उनका संगठन करना।
- कच्चे माल तथा उपकरण की व्यवस्था के लिए सुरक्षित भण्डार बनवाना और उन्हे खादी के उत्पादन अथवा ग्रामोद्योग मे लगे हुए व्यक्तियों को ऐसी मितब्ययी दरो पर देना जो बोर्ड की राय मे उपयुक्त हो।
- खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं के प्रचार तथा क्रय बिक्रय की व्यवस्था करना।
- खादी उत्पादन की विधियों मे अनुसंधान करना एवं अन्य ग्रामोद्योग विकास से सम्बन्धित समस्याओं के लिए समाधान सुनिश्चित करना।

- खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओ के विकास हेतु स्थापित संस्थाओं का अनुश्रवण करना या उनके अनुरक्षण मे सहायता करना।
- खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं का उत्पादन कार्य करना, उनके लिए सहायता देना और प्रोत्साहन प्रदान करना।
- खादी के कार्य तथा ग्रामोद्योग मे लगे व्यक्तियों और संस्थाओं जिनके अन्तर्गत सहकारी समितियॉ भी है से समन्वय करना।
- खादी निर्माताओं द्वारा ग्रामोद्योग मे लगे व्यक्तियों से सहकारी प्रयास का बढावा देना तथा उसे प्रोत्साहित करना।
- किसी अन्य विषय का कार्यान्वयन जो राज्य सरकार द्वारा नियमो के अन्तर्गत निर्धारित किया जाय।
- आवश्यकता अनुसार बोर्ड की विभिन्न गतिविधियों जैसे सर्वेक्षण, मार्केटिग, उत्पाद के पैकेजिंग, हाथ कागज, खादी डिजायनिंग या अन्य खादी एवं ग्रामोद्योग के विषयों से सम्बन्धित विशेषज्ञो/सलाहकारों की सेवायें प्राप्त करना।
- खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं के प्रचार तथा क्रय बिक्रय की व्यवस्था करना।
- खादी उत्पादन की विधियों मे अनुसंधान करना एवं अन्य ग्रामोद्योग विकास से सम्बन्धित समस्याओं के लिए समाधान सुनिश्चित करना।
- खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओ के विकास हेतु स्थापित संस्थाओं का अनुश्रवण करना या उनके अनुरक्षण मे सहायता करना।
- खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं का उत्पादन कार्य करना, उनके लिए सहायता देना और प्रोत्साहन प्रदान करना।
- खादी के कार्य तथा ग्रामोद्योग मे लगे व्यक्तियों और संस्थाओं जिनके अन्तर्गत सहकारी समितियॉ भी है से समन्वय करना।
- खादी निर्माताओं द्वारा ग्रामोद्योग मे लगे व्यक्तियों से सहकारी प्रयास का बढावा देना तथा उसे प्रोत्साहित करना।

- किसी अन्य विषय का कार्यान्वयन जो राज्य सरकार द्वारा नियमो के अन्तर्गत निर्धारित किया जाय।
- आवश्यकता अनुसार बोर्ड की विभिन्न गतिविधियों जैसे सर्वेक्षण, मार्केटिग, उत्पाद के पैकेजिंग, हाथ कागज, खादी डिजायनिंग या अन्य खादी एवं ग्रामोद्योग के विषयों से सम्बन्धित विशेषज्ञो/सलाहकारों की सेवायें प्राप्त करना।

उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का प्रशासनिक ढॉचा

- मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
- वित्त नियंत्रक।
- संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
- उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
- प्ररिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी।
- जिला ग्रामोद्योग अधिकारी।
- क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग ऊन

विभागीय योजनाओं का विवरण–:

1. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी0एम0ई0जी0पी0)

- यह योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 में प्रारम्भ की गई।
- उद्यमियों को विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से अधिकतम रू0 25.00 लाख तक वित्तपोषण की सुविधा।
- ग्रामीण क्षेत्र में कुल परियोजना लागत का 35 प्रतिशत् का अनुदान।
- नाकारात्मक सूची के अतिरिक्त प्रोजेक्ट प्रोफाईल चयन की सुविधा।

2. जिला योजना अन्तर्गत व्यक्तिगत उद्यमियों को ब्याज उपादान

- व्यक्तिगत उद्यमियों को राज्य के अन्दर स्वरोजगार स्थापित किये जाने हेतु अधिकतम रू0 5.00 लाख तक बैंक के माध्यम से वित्तपोषण हेतु सहयोग।
- उद्यमी को परियोजना लागत का 4 प्रतिशत् ब्याज की देयता।
- उद्यमी को परियोजना लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत् ब्याज का लाभ।
- नाकारात्मक सूची के अतिरिक्त नाबार्ड अनुमोदित प्रोजेक्ट प्रोफाईल चयन की सुविधा।

3. ऊन/तागा बैंक की स्थापना (जिला योजना)

- प्राथमिकता के आधार पर राज्य के स्थानीय भेड़ पालकों से ऊन क्रय करना।
- ऊन के प्रशोधन उपरान्त खादी की संस्था समितियों एवं विभागीय केन्द्रों में कतकर/बुनकर को उच्च गुणवत्ता की ऊन उपलब्ध कराना।
- पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड के सहयोग से भेड़पालकों की ऊन का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना।
- ऊन क्रय करने हेतु राज्य के ऊन बाहुल्य क्षेत्रों में ऊन क्रय केन्द्रो की स्थापना।

4. खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट

- राज्य सैक्टर योजना अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 02 अक्टूबर श्री गॉधी जयन्ती के शुभ अवसर पर आम जनता को खादी वस्त्रों की बिक्री पर 10 प्रतिशत् छूट की सुविधा।
- छूट की अवधि 108 कार्यकारी दिवसों के लिए लागू की जाती है।
- इस छूट का लाभ राज्य में लगभग 60 खादी संस्थाओं के 200 बिक्री केन्द्रों के माध्यम से दी जा रही है।

5. रेशा खरीद हेतु अनुदान

- यह योजना वर्ष 2016–17 से लागू की गयी है। उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय जनपदो के अधिकत्तर क्षेत्रों मे प्राकृतिक रेशा जैसे डॉस कंडाली, भीमल, एवं रामबॉस का अधिक उत्पादन होता है। उन रेशो का प्रयोग स्थानीय स्तर पर काफी मात्रा मे प्रचलित है। राज्य के ग्रामीण अंचलो मे प्राकृतिक रेशो पर आधारित पारम्परिक कास्तकारो (दस्तकारी) को संरक्षित करते हुए आधुनिक तकनीकी के माध्यम से प्राकृतिक रेशो मे मूल्यवर्द्धन करते हुए कार्य हेतु उपलब्ध कराना।

6. खादी संस्थाओं को सहयोग

- उत्तराखण्ड राज्य मे स्थानीय भेड पालको से ऊन क्रय कर उनसे उत्पादित वस्त्रों को तैयार करने मे उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड/आयोग की विभिन्न संस्था/समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। योजना का मुख्य उद्देश्य है कि खादी की संस्थायें जो आर्थिक एवं संस्थागत रूप से कमजोर है तथा अपना कार्य सुचारू रूप से नही कर पा रही है, ऐसी संस्थाओं के उत्थान हेतु उनके उत्पादन केन्द्रो के सुदृर्ढीकरण, तकनीकी विकास, डिजायन विकास आदि मे सहयोग करना है।

7. खादी ग्रामोद्योग परिषद को सहायता

- खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा राज्य मे वित्त पोषित उद्यमियों, स्वय सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामानो की बिक्री हेतु नियमित बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न क्षेत्रों मे राष्ट्रीय, राज्य, जनपद स्तरीय मेले एवं प्रदर्शनियों की एक श्रृंखला बनायी गयी है जिसमे उद्यमियों को प्रतिभाग कराया जाता है ताकि उन्हे अपने उत्पादो के प्रदर्शन एवं बिक्री के अवसर सृजित किये जा सके।
- विभागीय योजनाओं/उत्पादों के प्रचार–प्रसार हेतु जनपद स्तर पर गोष्ठीयॉ/सेमीनारों का आयोजन।
- पारम्परिक कारीगरो विशेषकर महिलाओं को ऊन कताई एवं बस्त्र बुनाई का प्रशिक्षण प्रदान कर खादी के उत्पादो मे डिजायन विकास करना।
- विभागीय उत्पादन केन्द्रों का सुदृढीकरण।

- बोर्ड कार्मिको का मासिक वेतन, भत्ते तथा जनपदीय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों का अधिष्ठान एवं संचालन व्यय।

योजनाओ मे प्रदत्त सेवा का विवरण

क0सं	सेवा का प्रकार	समय सीमा
1	ब्याज उपादान योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र	02 कार्य दिवसो मे
2	ब्याज उपादान आवेदन पत्रों का परीक्षण/टॉस्क फोर्स बैठक	01 माह के अन्तर्गत
3	ब्याज उपादान योजनान्तर्गत चयनित आवेदन पत्रों को बैंको को अग्रसारित करना	टास्क फोर्स बैठक के दो दिन पश्चात
4	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी0एम0ई0जी0पी0) योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र	02 कार्यदिवस/ऑन लाईन आवेदन पत्र प्राप्त करना
5	पी0एम0ई0जी0पी0 योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रो का परीक्षण/ टॉस्क फोर्स बैठक	01 माह के अन्तर्गत
6	पी0एम0ई0जी0पी0 योजनान्तर्गत चयनित आवेदन पत्रों को बैंको को अग्रसारित करना	टास्क फोर्स बैठक के दो दिन बाद

Contact Us:

Mrs. Manisha Panwar, Chief Executive Officer, Khadi And Village Industries Board,Thano Road, Bhopalpani, Dehradun. 248008

- **Email:** hq.ukvib@gmail.com
- **Website:**www.ukvib.org

Mr. Nitin Singh Bhadouriya, Additional Chief Executive Officer, Khadi And Village Industries Board,Thano Road, Bhopalpani, Dehradun. 248008

- **Email:** hq.ukvib@gmail.com
- **Website:**www.ukvib.org

Pooja Negi, Finance Controller, Khadi And Village Industries Board,Thano Road, Bhopalpani, Dehradun. 248008

- **Email:** hq.ukvib@gmail.com
- **Website:**www.ukvib.org

B.S.Khatri, Joint Chief Executive Officer, Khadi And Village Industries Board,Thano Road, Bhopalpani, Dehradun. 248008

- **Email:** hq.ukvib@gmail.com
- **Website:**www.ukvib.org

Dr Alka panday. District Village Industries Office, Dehradun

- **Tele:** 0135-2520734

Mr. Gyan Singh Tariyal,District Village Industries Office, Pauri

- **Tele:** 01382-222281

Mr. K. P Badola,District Village Industries Office, Gopeshwar (Chamoli)

- Tele: 01372-252086

Mr. S.N Arya, District Village Industries Office, Tehri

- Tele: 01376-234092

Mr. M .C Dhyani, District Village Industries Office, Uttarkashi

- Tele: 01374-222401

Mr. Rajev Bhatt, District Village Industries Office, Haridwar

- Tele: 01334-239346

Mr. B.C. Bughani, District Village Industries Office, Udham Singh Nagar

- Tele: 05944-250262

Mr. Bhawan Chandra Gururani, District Village Industries Office, Haldwani (Nainital)

- Tele: 05946-280247

Mr. B. D. Pant, District Village Industries Office, Almora

- Tele: 05962-232306

Mr. R. S Dhapola, District Village Industries Office, Pithoragarh

- Tele: 05964-224170

Mr. S.D Masiwal, District Village Industries Office, Rudraprayag

- Tele: 01364-233097

Mr. K S Karmyal, District Village Industries Office, Bageshwar

- Tele: 05963-221454

Mr. N C Kothari, District Village Industries Office, Champawat

- Tele: 05965-230696

Mr. S S Tilara, Divisional Suprintendent Industries (wool), Almora

- Tele: 05962-230112

Mr. S S Bonal, Divisional Suprintendent Industries (wool), Chamba

- Tele: 01376-256203

Mr. Nandan Parsad, Divisional Suprintendent Industries (wool), Srinagar

- Tele: 01346-257116

Mr. Gopal Singh Naviyal, Divisional Suprintendent Industries (wool), Jaspur

- Tele: 05947-220012